



Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:21983

उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ

दांडिक अपील संख्या.- 338/2026

शैलेंद्र प्रताप सिंह उर्फ शैलेंद्र प्रताप

..... अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह लखनऊ एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता :-सुरेश कुमार यादव

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता :-शासकीय अधिवक्ता, परमेश्वर दत्त तिवारी, विजय कुमार तिवारी

न्यायालय संख्या. - 12

माननीय न्यायमूर्ति मनीष माथुर

1. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता एवं प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से श्री परमेश्वर दत्त तिवारी को सुना गया।
2. आज दाखिल प्रत्युत्तर शपथ-पत्र को अभिलेख पर लिया गया है।
3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को आज दिन में अपील ज्ञापन में सही जमानत आवेदन संख्या अंकित करते हुए आवश्यक संशोधन करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. यह दांडिक अपील अपीलार्थी द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14क(2) के अंतर्गत, अपीलार्थी को जमानत देने से इंकार करते हुए विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम) द्वारा जमानत आवेदन संख्या 65/2026 (शैलेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ शैलेन्द्र प्रताप बनाम राज्य उत्तर प्रदेश) में पारित आदेश दिनांक 20.01.2026 को अपास्त किए जाने की प्रार्थना सहित योजित की गई है। उक्त प्रकरण वाद अपराध संख्या 529/2025, भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 352, 351(3), 118(1) एवं 109(1) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(द), 3(1)(ध) 3(2)(v), थाना सतरिख, जनपद बाराबंकी से सम्बन्धित है।

5. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय-वस्तु के अनुसार, घटना दिनांक 19.11.2025 को सुबह लगभग 07:00 बजे की बताई गई है, जब अपीलार्थी ने सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर मुखबिर और उसके भाई पर हमला किया, जिससे उसके भाई विमलेश को गंभीर चोटें आईं। मुखबिर और उसके भाई के विरुद्ध जाति-सूचक अपमान करने का आरोप भी लगाया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि प्राथमिकी में चोट पहुँचाने और जाति-सूचक अपमान करने के सामान्य आरोप लगाए गए हैं, जिनमें अपीलार्थी के विरुद्ध कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं है। उन्होंने मुखबिर और व्यथित के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत अभिलेखित बयानों का भी हवाला दिया और यह तर्क दिया कि किसी भी बयान में अपीलार्थी को परिवादी के भाई के शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर चोट पहुँचाने की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि घायल को कुल 14 चोटें आई हैं, जिनमें से 5 चोटें शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर हैं, जो चिकित्सीय आख्या के अनुसार किसी धारदार हथियार से पहुँचाई जा सकती थीं, किंतु किसी भी बयान में यह आरोप नहीं लगाया गया है कि अपीलार्थी ने मुखबिर

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

पर धारदार हथियार से हमला किया था। उन्होंने प्रत्युत्तर शपथ-पत्र का संदर्भ देते हुए यह भी कहा कि ऐसे हथियार की बरामदगी सह-अभियुक्त धनंजय यादव से की गई है।

6. यह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी इंटरमीडिएट का छात्र है और जेल में निरुद्ध रहने के कारण उसके भविष्य की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, विशेष रूप से तब जब वह बिना किसी पूर्व आपराधिक इतिहास के दिनांक 18.12.2025 से जेल में बंद है।

7. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का विरोध किया है। घायल के विद्वान अधिवक्ता ने चोट आख्या का हवाला देते हुए यह तर्क दिया है कि घायल को कुल 14 चोटें आई हैं, जिनमें से 5 चोटें सिर और खोपड़ी जैसे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर हैं। उन्होंने घायल के बयान का संदर्भ देते हुए, यह प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी के विरुद्ध सह-अभियुक्त धनंजय यादव के साथ मिलकर विशिष्ट आरोप लगाए गए हैं।

8. यह आगे तर्क दिया गया है कि जमानत आवेदन में अपीलार्थी के छात्र होने के संबंध में कोई तर्क नहीं दिया गया था, और इस तथ्य का उल्लेख पहली बार प्रत्युत्तर शपथ-पत्र में ही किया गया है।

9. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने भी जमानत आवेदन का विरोध किया है, किंतु प्राप्त निर्देशों के आधार पर, यह स्वीकार किया है कि अपीलार्थी का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है।

10. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने के उपरांत, इस स्तर पर, मामले के गुण-दोष में प्रवेश किए बिना और साक्ष्यों के अधीन रहते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी के साथ-साथ सह-अभियुक्तों पर पीड़ित को चोट पहुँचाने के सामान्य आरोप लगाए गए हैं। मुखबिर और घायल के बयानों में, अपीलार्थी द्वारा किसी भी धारदार

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

हथियार से हमला किए जाने का कोई विशिष्ट आरोप नहीं है, जबकि चोट आख्या में 14 चोटों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से 5 चोटें शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर हैं और जिनके बारे में कहा गया है कि वे धारदार हथियार से पहुँचाई गई हैं।

11. आज दाखिल प्रत्युत्तर शपथ-पत्र यह भी दर्शाता है कि उक्त धारदार हथियार सह-अभियुक्त धनंजय यादव की निशानदेही पर बरामद किया गया है। अपीलार्थी इंटरमीडिएट का छात्र भी प्रतीत होता है, जिसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और उसका लंबे समय तक कारावास में निरुद्ध रहना सुधार की संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है।

12. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, तथा गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, मेरा यह मत है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का सही मूल्यांकन करने में विफल रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किए जाने योग्य है।

13. तदनुसार, अपील **स्वीकृत** की जाती है तथा आदेश दिनांक 20.01.2026 अपास्त किया जाता है।

14. उपरोक्त संदर्भित वाद अपराध में संलिप्त अपीलार्थी/आवेदक को संबंधित न्यायालय के संतोषानुसार एक व्यक्तिगत बंध-पत्र तथा उतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। निम्नलिखित शर्तें न्याय हित में अधिरोपित की जाती हैं:-

- (i) अपीलार्थी/आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) अपीलार्थी/आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं बनाएगा और न ही उन्हें डराएगा-धमकाएगा।
- (iii) अपीलार्थी/आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, ताकि उसे ऐसे

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोका जा सके या वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न करे।

(iv) अपीलार्थी/आवेदक इस आशय का एक वचन-पत्र प्रस्तुत करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित होंगे, तब वह साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए यह विकल्प खुला रहेगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

(v) अपीलार्थी/आवेदक नियत प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-क(अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 269) के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

(vi) यदि अपीलार्थी/आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82(अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84) के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और अपीलार्थी/आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 174-क(अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 209) के अंतर्गत विधि के अनुसार कार्यवाही शुरू करेगा।

15. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, वे भी निस्तारित किए जाते हैं।

मार्च 30, 2026

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



लक्ष्मण

(न्यायमूर्ति मनीष माथुर)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।